...नवजन फाउण्डेशन...समिति / सोसायटी / संस्था / संस्थान

संघ विधान–पत्र

संस्थान का नाम : नवजन फाउण्डेशन

पंजीकृत कार्यालय : सी – 10, उर्मीला मार्ग, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर (राजस्थान)।

कार्य क्षेत्र : संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

संस्थान के उद्देश्य : इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. **नवजन फाउण्डेशन** -- एक धर्मनिरपेक्ष, अराजनैतिक, रोजगारोन्मुख, समाज, देश के हर जाति एवं वर्ग तथा समस्त जीवों की समस्त प्रकार से सेवा करने वाला स्वैच्छिक संस्थान होगा।

2. **राष्ट्रीय एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम** -- समाज के हर जाति एवं वर्ग के असहाय, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों, महिलाओं, बच्चों, दलितों, सभी प्रकार के विकलांगो / विशेषयोग्यजनों, अनारक्षितों, अनाथों, वृध्दों, शहीदों, सैनिकों की विधवाओं, सैनिकों के आश्रितों, हरिजनों, परित्यक्ताओं, विधवाओं एवं समस्त प्रकार के रोगियों, कुपोषण, गरीबी, भूखमरी से पीडितों, कुपोषित एवं मन्दबुदि बच्चों, मानसिक रोगियों, उपेक्षितों, वरिष्ठ नागरिकों, की हर प्रकार की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था करने हेतु वृद्धाश्रमों, अनाथाश्रमों, नारी आश्रमों, विकलांग आश्रमों, आवासगृहों, छात्रावासों की स्थापना कर संचालन करना एवं पुनर्वास करवाना, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना कर संचालन करना एवं उनका जीवन स्तर सुधारने, पुनर्वास के प्रयास करते हुए उन्हें स्वावलम्बी होने में सहयोग प्रदान करना तथा उनके कल्याण एवं उन्नति के लिए कार्य करते हुऐ उनके अधिकारों, रियायतों तथा सुविधाऐं प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना। समाजोत्थान हेतु सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना, समाज के हर जाति एवं वर्गों के लिए विभिन्न स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं, जातिभेद, लिंगभेद, रंगभेद, अस्पृश्यता, भेदभाव, एवं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, मिलावट, छुआछूत, दहेजप्रथा, मृत्युभोज, बालविवाह, आदि विभिन्न कुरुतियों के उन्मुलन के प्रयास करना।

3. **देश की एकता, अखण्डता व शांति,** शिष्टाचार, व भ्रातृत्व की भावनाओं को बच्चों, युवकों, विधार्थियों व समाज के सभी वर्गो में आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देते हुए शिक्षकों, बुजुर्गो व शहीदों के प्रति आदर की भावनाओं की समावेश करना। जाति, वर्ग, रंग, भाषाभेद की भावना आदि को खत्म कर समता के धरातल पर नये स्वच्छ समाज की परिकल्पना को सार्थक करने की दिशा में प्रयासरत रहना।

4. **आपदा प्रबंधन कार्यक्रम** – विभिन्न आपातकाल व प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के दौरान प्रभावित जीवों को राहत पहुंचाना तथा आपदा प्रबंधन में सरकार व प्रशासन का सहयोग करना एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति करना एवं

अध्यक्ष **अध्यक्ष** | कोषाध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** | मंत्री / सचिव **सचिव/मंत्री**

भागीदारी निभाना तथा समस्त विश्वभर के जनहित, जीवहित के लिए कोई भी ऐसा कार्य जिससे समस्त विश्वभर के जीव, समाज एवं देश को लाभ हो ऐसा कार्य करना।

5. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में** – एड्स, कुष्ठ, डॉट्स (टी.बी.) अंधतानिवारण कार्यक्रम, एस.टी.डी. केन्सर, इम्यूनाइजेषन, पल्स पोलियो, फ्लोराईड मुक्त जल, मधुमेह, रक्तचाप, पक्षाधात एवं समस्त प्रकार के रोग, कुपोषण एवं भूखमरी से पीडितों, आर.सी.एच. प्रोग्राम, आंगन बाडी, जनसंख्या नियंत्रण, प्रसुति एवं बाल कल्याण, नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना, उच्च श्रेणी की उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास करना, एवं विभिन्न चिकित्सा शिविर आयोजित कर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करानें का प्रयास करना।

6. **ग्रामीण विकास, किसानों, महिलाओं, एवं कृषि विकास कार्यक्रम** – गरीबों एवं लाचार लोगो के लिए आर्थिक, सामाजिक न्याय के लिए कानूनी सहायता दिलवाना, इसके लिए कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना करना तथा लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से एवं सांस्कृतिक जनजागरण के लिए समय – समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों (कवि सम्मेलन, वाद–विवाद प्रतियोगिता, गीत संगीत, नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिताओं) का आयोजन करना, छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर प्रतिभाओं को निखारना व वित्तीय संस्थाओं व सरकारी योजनाओं से बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना। समाज में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना/दिलाना तथा कृषि उपज को बढ़ाकर किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि संसाधनों को उपलब्ध कराना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सर्वधन करना।

7. **जल संग्रहण कार्यक्रम** – पर्यावरण, भूमि, जल संरक्षण, आमजन को शुद्ध पेयजल आपूर्ति, निरस्तार योजनाओं का सरकार द्वारा क्रियान्वयन करने में भागीदारी निभाना एवं जल सग्रहण हेतु घरों में टेंकों/टांकों, किसानों की कृषि भूमि, सरकारी भूमि, नदियों, एनिकटों, तालाबों, बांधों आदि का नवनिर्माण करना व जीणोद्धार करना, विकसित करना तथा लोगों में जल संग्रहण की भावना का विकास करना तथा जल सग्रहण की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना/दिलाना, जल संग्रहण प्रोत्साहन देना, जल संग्रहण के विभिन्न प्रयास करना।

8. **महिला उत्थान के कार्यक्रम** – महिलाओं की सशक्तिकरण एवं शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु विद्यालयों, महाविधालयों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, फार्मेसी, प्रबंधन, तकनीकी एवं चिकित्सा महाविधालयों, शोध संस्थानों का निर्माण, स्थापना एवं संचालन करना। आर्थिक एवं सामाजिक स्वावलम्बन हेतु स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार की आर्थिक स्वावलम्बन की भावना जागृत करना, प्रोत्साहित करना, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना एवं विभिन्न गतिविधियों का सुनियोजित संचालन करना। समाज में लैगिंक समानता, आत्मनिर्भर बनाने तथा महिला उत्थान के हर प्रकार के प्रयास करना।

9. **संगठनात्मक कार्यक्रम** – सरकारी, गैर सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विकास योजनाओं को विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उपयुक्त एवं जरूरतमदं लोगों तक पहुचानें की व्यवस्था करना तथा विषमता, अन्याय, शोषण, विभिन्न प्रदुषणों के विरूद्ध लोकशक्ति तैयार करना एवं न्यायसगंत शांति पूर्ण समाधान ढूंढना व दिलाना।

10. **सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला उत्थान एवं पुरासम्पदाओं व पर्यटन विकास के कार्यक्रम** – संस्थान राष्ट्रीय पुरासम्पदाओं एवं ऐतिहासिक किलों, महलों, बावडियों, छतरियों, एवं ऐतिहासिक महत्व के भवनों, इमारतों, स्थलों/स्थानों तथा भारतीय पर्यटन स्थलों का नवनिर्माण करने, जीणोद्धार करनें, रूप निखारनें, उन्हें विकसित करने के सभी प्रयास करते हुए साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक चेतना की अधिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों के साथ भारतीय शहरों

अध्यक्ष अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष | मंत्री / सचिव सचिव/मत्री

तथा पर्यटन स्थलों पर होने वाली परेशानियों, कठिनाईयों जैसे लपकागिरी, भीख माँगकर परेशान करना, उनके कीमती सामान, वस्तुओं की चोरी आदि विभिन्न समस्याओं से मुक्ति दिलाने के प्रयास व समाधान करते हुए भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरवशाली परम्परा अतिथी देवोभवः को अक्षुण बनाये रखने के लिए विदेशी सैलानियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा विश्वपटल पर भारतीय पर्यटन को नई उचाईयाँ प्रदान करने हेतु विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों तथा प्रशासनिक सहयोग लेते हुए पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना, हर सम्भव विभिन्न प्रयास करना। देशवासियों में साहित्य, सांस्कृति एवं कला के प्रति अभिरूचि जागृत करना तथा कलाकरों को समाज में उचित मानसम्मान दिलाने हेतु नाटकों का प्रदर्शन, गोष्ठियों का आयोजन, प्रदर्शनियों, लघु एवं दीर्घ वृत्त चित्रों का निर्माण, समाचारपत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन कर पारम्परिक कलाओं के उत्थान के प्रयास करना तथा फिल्म सोसायटियां स्थापित कर फिल्म बनाकर प्रतिभाओं को निखारकर समाज में उचित स्थान पर स्थापित कराना।

11. **पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में** – प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, वायु, भूमि) का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उर्जा संसाधनों के विकल्पों के प्रचार प्रसार एवं विकास, भूमि के गिरते जल स्तर, प्रबंधन, बंजर भूमि के उपयोगी तरीकों पर कार्य करना, पौधशालाएं स्थापित करना एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, विलुप्त होने वाली वानस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण करना, समाज में वृक्षारोपण का वातावरण तैयार करना, उनकी सुरक्षा के प्रति जन चेतना जागृत कर समुचित प्रबंधन करना तथा जल प्रदूषण के साथ साथ सभी प्रकार के प्रदूषणों की समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करना व रोकथाम के प्रयास करना। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन एवं सरंक्षण हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न प्रयास व उपाय करना तथा समाज में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना और स्वस्थव स्वच्छ समाज की स्थापना करना।

12. **जीव रक्षार्थ कार्यक्रम** – सभी प्रकार के पशु पक्षियों, जीवों की रक्षा करना, गौशालाओं का निर्माण करना तथा उनका संचालन करना, विभिन्न गौशालाओं को वित्तीय सहायता व विभिन्न प्रकार से सहायता करना। विलुप्त होने वाली प्रजातियों का पता लगाना व उनकी सुरक्षा के प्रबंध का प्रयास करना, पशु चिकित्सालयों, पशु चिकित्सा महाविधालयों, पशु चिकित्सा शिविरों की स्थापना कर संचालन करना, जीव हत्या को रूकवाने का प्रयास करना तथा लोगों को मांसाहार से शाकाहार की तरफ मुड़ने के लिए जागरूकता व चेतना पैदा करना जीव जन्तुओं की देखभाल, सुरक्षा एवं उत्थान के प्रयास करना।

13. **सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम** – सभी सम्प्रदायों के धार्मिक आस्था केन्द्रों का निर्माण करना, निर्माण में सहायता करना, जिर्णोद्धार करना, तथा समाज में वसुधैव कुटुम्बकम, जीव सेवा, चरित्र निर्माण, मानव धर्म की भावना का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिक कार्य करना तथा आमजन में देश के प्रति कर्तव्यों का बोध करना, पारस्परिक सहयोग की भावना का निर्माण करना।

14. **शिक्षा के क्षेत्र में** – पिछडें, दलित एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद छात्र छात्राओं, दिव्यागों, बच्चों, बूढ़ों, एवं महिलाओं हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा, विशेष शिक्षा व सर्वागिण विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली व्यवसायिक शिक्षा देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाते हुए शिक्षा प्रसार के लिए विश्व भूमण्डलीकरण के ज्ञान को समायोजित करते हुए अधिकाधिक विभिन्न स्तरीय विधालयों, कोचिंग संस्थाओं, उच्च शिक्षार्थ महाविधालयों, शैक्षणिक एवं तकनिकी शिक्षण संस्थानों, प्रबंधन, व्यवसायिक, आधुनिक विज्ञान, सभी प्रकार के चिकित्सा विज्ञान शिक्षण संस्थानों, अभियान्त्रिकी संस्थानों एवं शोध संस्थानों, विश्वविधालयों, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, पुस्तकालयों, वाचनालयों की स्थापना कर प्रचार प्रसार करना, संचालन करना एवं नई प्रतिभाओं को निखाकर आगे लाने का प्रयास व सहयोग करना। आजिविका उपार्जन के साधन उपलब्ध कराना, समाज के हर वर्ग से अधिकाधिक लोगों, महिलाओं को जोड़ना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

अध्यक्ष अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

15. **शारीरिक, मानसिक, मानवीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास तथा खेलकूद एवं शारीरिक विकास के क्षेत्र में** – आर्थिक युग में भाग दौड भरी पाश्चात्य जीवन शैली में युवाओं, महिलाओं में शारीरिक, मानसिक विकास एवं मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने हेतु युवाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ध्यान, योगा एवं धार्मिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा ग्रामीण एवं शहरी युवाओं, महिलाओं में समाज, देश एवं अपने बिखरते परिवार के बडे बुजुर्गों एवं रिश्तों के प्रति मान सम्मान , मानवीय मूल्यों एवं धार्मिक, भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कारों को स्थापित करनें के विभिन्न प्रयास करना तथा ग्रामीण खेल कूद, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान के पैरालम्पिक, ओलपिंक, एशियाई खेल आदि सभी प्रकार के खेल कूदो के विकास हेतु युवाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर ग्रामीण एवं शहरी प्रतिभाओं को निखारना, प्रोत्साहन देना, राज्यस्तर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना।

16. **ग्रामीण विकास, मानवाधिकार एवं जनसहभागिता के क्षेत्र में** – विभिन्न राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय योजनाओं की क्रियान्विती में राज्य एवं केन्द्र सरकार के सहयोगी बनना तथा अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों में जिम्मेदारी निभातें हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, एवं महिलाओं को विकास, सुरक्षा एवं राहत प्रदान करना। झुग्गी झोपडियों एवं ग्रामीण विकास, समाज उत्थान के कार्यक्रम, बालश्रमिकों, महिला अत्याचारों, पशु कुरता, जीव हत्या, समाज के हर वर्ग, जाति, जीव आदि की समस्त प्रकार के मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा मानवधिकारों के विकास, कल्याण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

रजिस्टार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

विधान नियमावली

(1) संस्थान का नाम : नवजन फाउण्डेशन

(2) पंजीकृत कार्यालय तथा : सी – 10, उर्मीला मार्ग,
हनुमान नगर, खातीपुरा,
जयपुर (राजस्थान)।

कार्य क्षेत्र : संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।

(3) संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. **नवजन फाउण्डेशन** -- एक धर्मनिरपेक्ष, अराजनीतिक, रोजगारोन्मुख, समाज, देश के हर जाति एवं वर्ग तथा समस्त जीवों की समस्त प्रकार की सेवा करने वाला, स्वैच्छिक संस्थान होगा।

2. **राष्ट्रीय एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम** – समाज के हर जाति एवं वर्ग के असहाय, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों, महिलाओं, बच्चों, दलितों, सभी प्रकार के विकलांगो/विशेषयोग्यजनों, अनारक्षितों, अनाथों, वृध्दों, शहीदों, सैनिकों की विधवाओं, सैनिकों के आश्रितों, हरिजनों, परित्यक्ताओं, विधवाओं एवं समस्त प्रकार के रोगियों, कुपोषण, गरीबी, भूखमरी से पीडितों, कूपोषित एवं मन्दबुदि बच्चों, मानसिक रोगियों, उपेक्षितों, वरिष्ठ नागरिकों, की हर प्रकार की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था करने हेतु वृद्धाश्रमों, अनाथाश्रमों, महिला--आश्रमों, विकलांग आश्रमों, आवासगृहों, छात्रावासों, की स्थापना कर संचालन करना एवं पूनर्वास करवाना, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना कर संचालन करना एवं उनका जीवन स्तर सुधारने, पूनर्वास के प्रयास करते हुए उन्हें स्वावलम्बी होने में सहयोग प्रदान करना तथा उनके कल्याण व उन्नति के लिए कार्य करते हुऐ उनके अधिकारों, रियायतों तथा सुविधाऐं प्राप्त करनें के लिए प्रयत्नशील रहना। समाजोत्थान हेतु सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना, समाज के हर जाति एवं वर्ग के लिए विभिन्न स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं, जातिभेद, लिगंभेद, रगंभेद, अस्पृश्यता, भेदभाव, एवं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, मिलावट, छुआछूत, दहेजप्रथा, मृत्युभोज, बालविवाह, आदि विभिन्न कुरूतियों के उन्मुलन के प्रयास करना।

3. **देश की एकता, अखण्डता व शांति,** शिष्टाचार, व भातृत्व की भावनाओं को बच्चों, युवकों, विधार्थियों व समाज के सभी वर्गो में आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देते हुए शिक्षकों, बुजुर्गो व शहीदों के प्रति आदर की भावनाओं की समावेश करना। जाति, वर्ग, रंग, भाषाभेद की भावना आदि को खत्म कर समता के धरातल पर नये स्वच्छ समाज की परिकल्पना को सार्थक करनें की दिशा में प्रयासरत रहना।

4. **आपदा प्रंबधन कार्यक्रम** – विभिन्न आपातकाल व प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के दौरान प्रभावित जीवों को राहत पहुंचाना तथा आपदा प्रबंधन में सरकार व प्रशासन का सहयोग करना एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति करना, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति करना एवं भागीदारी निभाना तथा समस्त विश्वभर के जनहित, जीवहित के लिए कोई भी ऐसा कार्य जिससे समस्त विश्वभर के जीव, समाज एवं देश को लाभ हो ऐसा कार्य करना।

अध्यक्ष — अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव — सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

5. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में** – एड्स , कुष्ठ, डॉट्स (टी.बी.) अंधतानिवारण कार्यक्रम, एस.टी.डी. केन्सर, इम्यूनाइजेषन, पल्स पोलियो, फ्लोराईड मुक्त जल, मधुमेह, रक्तचाप, पक्षाघात एवं समस्त प्रकार के रोग, कुपोषण एवं भूखमरी से पीडितों, आर.सी.एच. प्रोग्राम, आंगन बाडी, जनसंख्या नियंत्रण, प्रसुति एवं बाल कल्याण, नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना कर संचालन करना, उच्च श्रेणी की उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास करना, एवं विभिन्न चिकित्सा शिविर आयोजित कर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करानें का प्रयास करना।

6. **ग्रामीण विकास, किसानों, महिलाओं, एवं कृषि विकास कार्यक्रम** – गरीबों एवं लाचार लोगो के लिए आर्थिक, सामाजिक न्याय के लिए कानूनी सहायता दिलवाना, इसके लिए कानूनी सहायता केन्द्रों की स्थापना करना तथा लोगों में जागृति लाने के उद्देश्य से एवं सांस्कृतिक जनजागरण के लिए समय – समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों (कवि सम्मेलन, वाद–विवाद प्रतियोगिता, गीत संगीत, नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिताओं) का आयोजन करना, छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर प्रतिभाओं को निखारना व वित्तीय संस्थाओं व सरकारी योजनाओं से बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना। समाज में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना/दिलाना तथा कृषि उपज को बढ़ाकर किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास करना तथा सूचना प्रौधोगिकी, कृषि संसाधनों को उपलब्ध कराना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सर्वधन करना।

7. **जल संग्रहण कार्यक्रम** – पर्यावरण, भूमि, जल संरक्षण, आगजन को शुद्ध पेयजल आपूर्ति, निरस्तार योजनाओं का सरकार द्वारा क्रियान्वयन करना, भागीदारी निभाना एवं जल सग्रहण हेतु घरों में टेंकों/टांकों, किसानों की कृषि भूमि, सरकारी भूमि पर नदियों, एनिकटों, तालावों, बांधों आदि का नवनिर्माण करना व जीणोद्धार करना, विकसित करना तथा लोगों में जल संग्रहण की भावना का विकास करना तथा जल सग्रहण की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना/दिलाना, जल संग्रहण प्रोत्साहन देना, जल संग्रहण के विभिन्न प्रयास करना।

8. **महिला उत्थान के कार्यक्रम** – महिलाओं की सशक्तिकरण एवं शैक्षणिक योग्यता बढाने हेतु विद्यालयों, महाविधालयों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, फार्मेसी, प्रबंधन, तकनीकी एवं चिकित्सा महाविधालयों, शोध संस्थानों का निर्माण, स्थापना एवं संचालन करना। आर्थिक एवं सामाजिक स्वावलम्बन हेतु स्वय सहायता समूहों, स्वरोजगार की आर्थिक स्वावलम्बन की भावना जागृत करना, प्रोत्साहित करना, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना एवं विभिन्न गतिविधियों का सुनियोजित संचालन करना। समाज में लैगिंक समानता, आत्मनिर्भर बनाने तथा महिला उत्थान के हर प्रकार के प्रयास करना।

9. **संगठनात्मक कार्यक्रम** – सरकारी, गैर सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विकास योजनाओं को विभिन्न संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उपयुक्त एवं जरूरतमदं लोगों तक पहुचानें की व्यवस्था करना तथा विषमता, अन्याय, शोषण, विभिन्न प्रदुषणों के विरूद्ध लोकशक्ति तैयार करना एवं न्यायसगंत शांति पूर्ण समाधान ढूंढना व दिलाना।

10. **सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला उत्थान एवं पुरासम्पदाओं व पर्यटन विकास के कार्यक्रम** – संस्थान राष्ट्रीय पुरासम्पदाओं एवं ऐतिहासिक किलों, महलों, बावडियों, छतरियों, एवं ऐतिहासिक महत्व के भवनों, इमारतों, स्थलों/स्थानों तथा भारतीय पर्यटन स्थलों का नवनिर्माण करने, जीणोद्धार करनें, रूप निखारनें, उन्हें विकसित करने के सभी प्रयास करते हुए साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक चेतना की अधिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। भारत में आने वाले विदेशी सैलानियों के साथ भारतीय शहरों तथा पर्यटन स्थलों पर होने वाली परेशानियों, कठिनाईयों जैसे लपकगिरी, भीख माँगकर परेशान करना, उनके कीमती सामान, वस्तुओं की चोरी आदि विभिन्न समस्याओं से मुक्ति दिलाने के प्रयास व समाधान

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री/सचिव

सचिव/मंत्री

कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

करते हुए भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरवशाली परम्परा अतिथी देवोभवः को अक्षुण बनाये रखने के लिए विदेशी सैलानियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा विश्वपटल पर भारतीय पर्यटन को नई उचाईयाँ प्रदान करने हेतु विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों तथा प्रशासनिक सहयोग लेते हुए पर्यटन व्यवसाय को बढावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना, हर सम्भव विभिन्न प्रयास करना। देशवासियों में साहित्य, सांस्कृति एवं कला के प्रति अभिरूचि जागृत करना तथा कलाकरों को समाज में उचित मानसम्मान दिलाने हेतु नाटकों का प्रदर्शन, गोष्ठियों का आयोजन, प्रदर्शनियों, लघु एवं दीर्घ वृत्त चित्रों का निर्माण, समाचारपत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन कर पारम्परिक कलाओं के उत्थान के प्रयास करना तथा फिल्म सोसायटियां स्थापित कर फिल्म बनाकर प्रतिभाओं को निखारकर समाज में उचित स्थान पर स्थापित कराना।

11. **पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में** – प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, वायु, भूमि) का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उर्जा संसाधनों के विकल्पों के प्रचार प्रसार एवं विकास, भूमि के गिरते जल स्तर, प्रबंधन, बंजर भूमि के उपयोगी तरीकों पर कार्य करना, पौधशालाएं स्थापित करना एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, विलुप्त होने वाली वानस्पतिक प्रजातियों का संरक्षण करना, समाज में वृक्षारोपण का वातावरण तैयार करना, उनकी सुरक्षा के प्रति जन चेतना जागृत कर समुचित प्रबंधन करना तथा जल प्रदूषण के साथ साथ सभी प्रकार के प्रदूषणों की समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करना व रोकथाम के प्रयास करना। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन एवं सरंक्षण हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न प्रयास व उपाय करना तथा समाज में स्वच्छता अभियान को बढावा देना और स्वस्थव स्वच्छ समाज की स्थापना करना।

12. **जीव रक्षार्थ कार्यक्रम** – सभी प्रकार के पशु पक्षियों, जीवों की रक्षा करना, गौशालाओं का निर्माण करना तथा उनका संचालन करना, विभिन्न गौशालाओं को आर्थिक सहायता व विभिन्न प्रकार से सहायता करना। विलुप्त होने वाली प्रजातियों का पता लगाना व उनकी सुरक्षा के प्रबंध का प्रयास करना, पशु चिकित्सालयों, पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा शिविरों की स्थापना कर संचालन करना, जीव हत्या को रूकवाने का प्रयास करना तथा लोगों को मांसाहार से शाकाहार की तरफ मुड़ने के लिए जागरूकता व चेतना पैदा करना जीव जन्तुओं की देखभाल, सुरक्षा एवं उत्थान के प्रयास करना।

13. **सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम** – सभी सम्प्रदायों के धार्मिक आस्था केन्द्रों का निर्माण करना, निर्माण में सहायता करना, जिर्णोद्धार करना, तथा समाज में वसुधैव कुटुम्बकम, जीव सेवा, चरित्र निर्माण, मानव धर्म की भावना का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिक कार्य करना तथा आमजन में देश के प्रति कर्तव्यों का बोध करना, पारस्परिक सहयोग की भावना का निर्माण करना।

14. **शिक्षा के क्षेत्र में** – पिछडें, दलित एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद छात्र छात्राओं, दिव्यागों, बच्चों, बूढों, एवं महिलाओं हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा, विशेष शिक्षा व सर्वांगिण विकास एवं स्वरोजगार को बढावा देने वाली व्यवसायिक शिक्षा देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाते हुए शिक्षा प्रसार के लिए विश्व भूमण्डलीकरण के ज्ञान को समायोजित करते हुए अधिकाधिक विभिन्न स्तरीय विधालयों, कोचिंग संस्थानों, उच्च शिक्षार्थ महाविधालयों, शैक्षणिक एवं तकनिकी शिक्षण संस्थानों, प्रंबधन, व्यवसायिक, आधुनिक विज्ञान, सभी प्रकार के चिकित्सा विज्ञान शिक्षण संस्थानों, अभियान्त्रिकी संस्थानों एवं शोध संस्थानों, विश्वविधालयों, विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, पुस्ताकालयों, वाचनालयों की स्थापना कर प्रचार प्रसार करना, संचालन करना एवं नई प्रतिभाओं को निखाकर आगे लाने का प्रयास व सहयोग करना। आजिविका उपार्जन के साधन उपलब्ध कराना, समाज के हर वर्ग से अधिकाधिक लोगों, महिलाओं को जोडना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव

सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

15. **शारीरिक, मानसिक, मानवीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास तथा खेलकूद एवं शारीरिक विकास के क्षेत्र में** – आर्थिक युग में भाग दौड भरी पाश्चात्य जीवन शैली में युवाओं, महिलाओं में शारीरिक, मानसिक विकास एवं मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने हेतु युवाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ध्यान, योगा एवं धार्मिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा ग्रामीण एवं शहरी युवाओं, महिलाओं में समाज, देश एवं अपने बिखरते परिवार के बडे बुजुर्गों एवं रिश्तों के प्रति मान सम्मान , मानवीय मूल्यों एवं धार्मिक, भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कारों को स्थापित करने के विभिन्न प्रयास करना तथा ग्रामीण खेल कूद, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान के पैरालम्पिक, ओलपिंक, एशियाई खेल आदि सभी प्रकार के खेल कूदों के विकास हेतु युवाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर ग्रामीण एवं शहरी प्रतिभाओं को निखारना, प्रोत्साहन देना, राज्यस्तर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना।

16. **ग्रामीण विकास, मानवाधिकार एवं जनसहभागिता के क्षेत्र में** – विभिन्न राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय योजनाओं की क्रियान्विती में राज्य एवं केन्द्र सरकार के सहयोगी बनना तथा अन्य किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों में जिम्मेदारी निभाते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, एवं महिलाओं को विकास, सुरक्षा एवं राहत प्रदान करना। झुग्गी झोपडियों एवं ग्रामीण विकास, समाज उत्थान के कार्यक्रम, बालश्रमिकों, महिला अत्याचारों, पशु कुरता, जीव हत्या, समाज के हर वर्ग, जाति, जीव आदि की समस्त प्रकार के मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा मानवधिकारों के विकास, कल्याण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर सत्यमेव जयते

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव — सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न है–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री मेघराज सिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याण सिंह	व्यापार समाजसेवा	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	संरक्षक	
2.	श्री मानवेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मेघराज सिंह शेखावत	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	अध्यक्ष	
3.	श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह शेखावत	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	उपाध्यक्ष	
4	श्री आसु सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी	सर्विस	45, पश्चिम विहार, वार्ड नं. 3, जयपुर	कोषाध्यक्ष	
5.	श्रीमती जतन कंवर पत्नि श्री मानवेन्द्र सिंह शेखावत	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	सचिव	
6.	श्रीमती दिव्या कंवर पत्नि श्री राघवेन्द्र सिंह	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	उपसचिव	
7.	श्री घनश्याम सारडा पुत्र श्री रामनिवास सारडा	सर्विस	बी–1/3, एल आइ सी सेक्टर–2, विधाधर नगर, जयपुर	सदस्य	
8.	श्री मंगल सिंह सोंलकी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह सोंलकी	सर्विस	13, शिव नगर, अजमेर रोड़, भांकरोटा, जयपुर	सदस्य	
9.	श्री गजराज सिंह सोंलकी पुत्र श्री मंगल सिंह सोंलकी	सर्विस	13, शिव नगर, अजमेर रोड़, भांकरोटा, जयपुर	सदस्य	

रजिस्ट्रार संस्थाएं सत्यमेव जयते जयपुर

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पता निम्न प्रकार है इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे पंजीकृत कराने के इच्छुक है :

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री मेघराज सिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याण सिंह	व्यापार समाजसेवा	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	संरक्षक	(हस्ताक्षर)
2.	श्री मानवेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मेघराज सिंह शेखावत	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर)
3.	श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह शेखावत	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	उपाध्यक्ष	(हस्ताक्षर)
4	श्री आसु सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी	सर्विस	45, पश्चिम विहार, वार्ड नं. 3, जयपुर	कोषाध्यक्ष	(हस्ताक्षर)
5.	श्रीमती जतन कंवर पत्नि श्री मानवेन्द्र सिंह शेखावत	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	सचिव	(हस्ताक्षर)
6.	श्रीमती दिव्या कंवर पत्नि श्री राघवेन्द्र सिंह	समाजसेवा व्यवसाय	सी – 28, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	उपसचिव	(हस्ताक्षर)
7.	श्री घनश्याम सारडा पुत्र श्री रामनिवास सारडा	सर्विस	सी – 1/3, एल आइ सी [illegible], विधाधर नगर, जयपुर	सदस्य	(हस्ताक्षर)
8.	श्री कमल सिंह सोलंकी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी	सर्विस	13, शिव नगर, अजमेर रोड़, भांकरोटा, जयपुर	सदस्य	(हस्ताक्षर)
9.	श्री [illegible] सिंह सोलंकी पुत्र श्री कमल सिंह सोलंकी	सर्विस	13, शिव नगर, अजमेर रोड़, भांकरोटा, जयपुर	सदस्य	(हस्ताक्षर)

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानतें है व इन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषणा करते है कि हम इस संस्थान के सदस्य नहीं है।

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
Sanganer, JAIPUR

हस्ताक्षर प्रमाणितकर्ता मय सील
नाम एच. एस. सोढ़ा
व्यवसाय नौकरी
पता 163/130 प्रताप नगर जयपुर

हस्ताक्षर प्रमाणितकर्ता मय सील
नाम पी. एस. राठौड़
व्यवसाय व्यापार
पता नारायण विहार सेक्टर – 3 प्रताप नगर जयपुर

अध्यक्ष — **अध्यक्ष**

कोषाध्यक्ष — **कोषाध्यक्ष**

मंत्री / सचिव — **सचिव/मंत्री**

Scanned with CamScanner

(4) सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्थान के सदस्य बन सकेंगे –

1. संस्थान के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल व दिवालिया न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरी समझते हों।

(5) सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे –

1. संरक्षक / सह संरक्षक
2. अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष
4. कोषाध्यक्ष
5. मंत्री / सचिव /
6. उप–सचिव
7. साधारण सदस्य

(6) सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा –

1.	संरक्षक / सह संरक्षक	राशि 50000 / – वार्षिक
2.	अध्यक्ष	राशि 11000 / – वार्षिक
3.	उपाध्यक्ष	राशि 11000 / – वार्षिक
4.	कोषाध्यक्ष	राशि 11000 / – वार्षिक
5.	मंत्री / सचिव	राशि 11000 / – वार्षिक
6.	उपसचिव	राशि 11000 / – वार्षिक
7.	साधारण सदस्य	राशि 2100 / – वार्षिक

(7) सदस्यता का निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन / सदस्यता समाप्ति / पद समाप्त निम्न प्रकार किया जा सकेगा –

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने में बाधक होने पर।
4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जाएगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

अध्यक्ष अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

(8) साधारण सभा : संस्था के उप–नियम संख्या 5 में वर्णित समस्त सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

(9) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे –

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबंधकारिणी के द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा एवं पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन करना।

"जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर लागू होगा"

(10) साधारण सभा की बैठक :

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व, अतिआवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। (बैठक की सूचना लिखित, मौखिक, टेलीफोन द्वारा दी जा सकेगी जो सर्वमान्य होगी तथा लिखित सूचना ही/भी समझी जावेगी)
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर --अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

रजिस्ट्रार संस्थाएं सत्यमेव जयते जयपुर

अध्यक्ष

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री/सचिव

सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

(11) कार्यकारिणी का गठन : संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबन्धकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे –

1.	संरक्षक	– एक
2	अध्यक्ष	– एक
4.	उपाध्यक्ष	– एक
5.	कोषाध्यक्ष	– एक
6.	मंत्री / सचिव	– एक
7.	उपसचिव	– एक
8.	सदस्य	– तीन

इस प्रकार संस्थान की प्रबन्धकारिणी में कुल 6 पदाधिकारी व 3 सदस्य होगें।

(12) कार्यकारिणी का निर्वाचनः

1. संस्था की प्रबंध कारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधी के लिये साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जाएगी।

(13) कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगें : –

1. सदस्य बनाना एवं निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
6. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो उन्हें करना।

(14) कार्यकारिणी की बैठकः

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष / सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव

Scanned with CamScanner

3. बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जायेगी तथा अतिआवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी मौखिक/टेलीफोन द्वारा दी जा सकेगी।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाएगी जो पुनः उसी दिन अथवा निर्धारित दिन निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में हो। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम सचिव एवं अन्य एक पदाधिकारी की उपस्थिति आवश्यक होगी, इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी कार्यवाही में करना आवश्यक होगा।

(15) प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगें :–

अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठक आहुत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा एवं अन्य विधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

राजस्थान संस्थाएं जयपुर

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपरिथति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का पालन करना।
2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

मंत्री/ सचिव

1. बैठक आहुत करना।
2. कार्यवाही लिखना व रिकार्ड रखना।
3. संस्थान के प्रशासन प्रबन्ध वित्त व्यवस्था एवं आयोजन कर संचालन एवं नियंत्रण।
4. बैंक खातों को संचालित करना।
5. संस्थान की ओर से पत्र व्यवहार करना।
6. संविदा एवं अन्य विधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
8. कार्यकर्ताओं के सेवा नियम, वेतन का निर्धारण, नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति आदि नियंत्रण करना।
9. लिये गये निर्णय को क्रियान्वित करना एवं उनके लिये आवश्यक संसाधन जुटाना।

अध्यक्ष **अध्यक्ष** कोषाध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** मंत्री / सचिव **सचिव/मंत्री**

Scanned with CamScanner

10. कार्यकारी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिये कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर सकेगा।
11. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं के साथ सहयोग लेना एवं देना
12. प्रदत्त कार्य करना

सहमंत्री / उपसचिव

1. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त अधिकारों का पालन करना।
2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा--जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियत्रंण रखना।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

(16) संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा--

1. चंदा
2. शुल्क
3. अनुदान

वित्तिय सहायता – संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तिय सहायता किसी भी स्वदेश एवं विदेश के व्यक्ति व संस्थाओं से चन्दा, शुल्क, अनुदान के अतरिक्त संस्था की प्रबन्धसमिति के सदस्यों, सदस्यों व अन्य किसी भी इच्छुक कम्पनियों, फर्मो के द्वारा उनके सी.एस.आर. कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ली जा सकेगी।

5. राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत / सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। अध्यक्ष, महामंत्री / कार्यकारी सचिव, कोषाध्यक्ष में से दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक का लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner

(17)	कोष सम्बन्धी विशेष अधिकार	:	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे: 1. अध्यक्ष............................ आवश्यकतानुसार.........रू. 2. कोषाध्यक्ष....................................21000 / ....रू. 3. मंत्री / सचिव.............21000 / ....रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी / प्रबन्धसमिति से करवाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धसमिति द्वारा की जावेगी।
(18)	संस्था का अंकेक्षण	:	संस्था के समस्त लेखे–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार, संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।
(19)	संस्था के विधान में परिवर्तन	:	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
(20)	संस्था का विघटन	:	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति समान उद्देश्यों वाली संस्था / संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। यह समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनरूप होगा।
(21)	संस्था के लेखे–जोखे का निरीक्षण	:	रजिस्ट्रार, संस्थाएं जयपुर को संस्था के रिकार्ड के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जाऐगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान "नियमावली" दमखिल फाउण्डेशन संविधान संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अधिनियम 1958 की धारा 12 के तहत संस्था ... प्रमाणित किया जाता है ... जो दाखिल कराये गये ... पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. .... तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 16-9-2020
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
जयपुर

अध्यक्ष — अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष

मंत्री / सचिव — सचिव/मंत्री

Scanned with CamScanner